

मूल वाद में दिल्ली

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सिटीसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

सिटीसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपवाक

सौदालाल बनाम श्रीमोकरण झादि

दावा क्रमांक :- 88 RFA-1

मुकदमा नंबर :- 342/2021

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादों की ओर से वकील इम्रियाल बेरवान की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील सतवीर खैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझे शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मोजा खाती के खाता सं० 251/228 के खासरा सं० 30 की 6.520 है, खासरा सं० 217 की 2.846 है, खासरा सं० 220 की 1.730 है कुल 11.0820 है कारणों खातदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 श्रीमोकरण के नाम पर 2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं० 1 श्रीमोकरण के वजारे वादी सौदालाल व प्रतिवादी सं० 1 श्रीमोकरण के वहिस्सा बराबर के खातदार का आधार ब्यापित किए जाते हैं युक्ति प्रतिवादी सं० 2 का अपना सम्पुर्ण एक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिखा है इसलिए त्याग किए गए हिस्से पर पंजीयन विभाग का पैय पंजापन शुल्क एवं साम अपना अपा करने व यदि कृषि भूमि बैंक है रख है तो रख मुल्य होने के कारण ही राजस्व रिकार्ड में अपना द्वारा लिख जावे राजीनामा का दिनांक का क्रमांक 461 जावे।

उर्ध्व पत्रकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पत्रा दिल्ली आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़